न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2023 FSSA

1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स बालाजी डेयरी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा निवासी देवतवाल कॉलोनी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री रविन्द्र सिंह बैसला अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 23.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.02.2023 को 04:01 पी. एम. पर मैसर्स बालाजी डेयरी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां पर श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा उपस्थित मिला। जिन्होने स्वयं को मैसर्सः—बालाजी डेयरी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा का मालिक/एफबीओ होना बताया एवं दूध, दही, घी व अन्य खाद्य पदार्थ ब्राण्डेड व घी(खुला) का व्यवसाय/निर्माण करता पाया गया। खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र प्रस्तुत किया।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री संजय कुमार शर्मा की उपस्थिति में मैसर्सः— बालाजी डेयरी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान में एल्यूमिनियम की कैन में लगभग 10—12 किलोग्राम घी(खुला) रखा हुआ था। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये श्री संजय कुमार शर्मा व गवाहान के फार्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताया कि यह घी(खुला) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। दुकान में एल्यूमिनियम की केन में लगभग 10—12 किलोग्राम घी में से इलेक्ट्रोनिक मशीन से चार साफ व सूखी चौडे मुंह की प्लास्टिक की शिशियों में 200—200 ग्राम कुल मात्रा 800 ग्राम नियमानुसार वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया। जिसकी कीमत श्री संजय कुमार शर्मा को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 800 ग्राम घी के 240/— (अक्षरे दौ सौ चालीस रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी(खुला) को इलेक्ट्रॉनिक मापक मशीन से 200—200 ग्राम तुलवाकर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे पर खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के ऊपर लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG-3169** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल के साथ घी(खुला) के लेबल को रखकर नियमानुसार श्री संजय कुमार शर्मा तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **AG-3169** को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेजात जमा करवाने हेतु अलवर गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 13.02.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ घी(खुला) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./119/एक्ट/2023/141 दिनांक 24.02.2023 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी(खुला) का नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)**(z)(x)** का उल्लंघन होने के कारण अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त की ओर से श्री रविन्द्र सिंह बैंसला उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./119/एक्ट/2023/141 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(खुला) के नमूने की जांच रिपोर्ट में निम्नानुसार कमियां पाई गई हैः–

जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading 46.7** प्राप्त हुई है जो कि **40.0** से **44.0** होनी चाहिये थी। यह तय मानको से अधिक है।

Reichert-Meissl Value 17.82 प्राप्त हुई है जो कि **24.0** से कम नहीं होनी चाहिये थी।

उक्त खाद्य पदार्थ का **Baudouin test for added vanaspati ‘Positive’** पाया गया है। जो कि **‘Negative’** होना चाहिये था। इससे सिद्ध होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी में वनस्पति की मिलावट की गई है।

Iodine Value ‘56.74’ प्राप्त हुई है जो कि [illegible] **38.0** होनी चाहिये थी। यह तय मानको से अधिक प्राप्त हुई है।

खाद्य पदार्थ घी(खुला) की **Saponification Valu[illegible]02.74’** प्राप्त हुई है जो कि **205.0** से **235.0** होनी चाहिये थी। यह तय मानको से कम प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested

Fatty acid profile done not meet the fatty acid profile of ghee.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी(खुला) के नमूने की जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading** तय मानको से अधिक, **Reichert-Meissl Value** तय मानको से कम, **Baudouin test for added vanaspati "Negative'** के स्थान पर **'Positive', Iodine Value** तय मानको से अधिक, **Saponification Value** तय मानको से कम प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त **Fatty acid profile done not meet the fatty acid profile of ghee** पाया गया है। इससे सिद्व होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ में वनस्पति की मिलावट किये जाने के कारण यह खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सेक्शन **3(1)(z)(x)** के उल्लंघन के कारण अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी(खुला) का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा कोई खुला घी नहीं बेचा जा रहा था। अप्रार्थी अभियुक्त से पैक्ड घी के डिब्बे को खुलवाया गया था और उसमे से सैम्पल लिया गया था। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध कतई गलत आधारो पर प्रकरण बनाया गया है। अप्रार्थी बडियाल रोड बांदीकुई पर मैसर्स बालाजी डेयरी के नाम से दुकान चलाता है। प्रार्थी दुध, दही, घी, ब्राण्डेड सरस डेयरी का ही विक्रय करता है जो अप्रार्थी के पास बिल्कुल पैक आता है जिनको पैकिटो में बेचता है। अप्रार्थी के पास एक किलोग्राम घी डिब्बे में सील पैक था लेकिन इन्सपेक्टर साहब ने सैम्पल लेने के लिये पैक्ड डिब्बे की सील को उनके द्वारा ही लूज किया गया था। इन्स्पेक्टर साहब ने 200 ग्राम के हिसाब से चार प्लास्टिक की शीशियों में कुल 800 ग्राम सैम्पल लेकर सील लेबल किया था। परन्तु जांच के लिये भेजी गई सैम्पल में 300 ग्राम की बोतल बताया गया है। जबकि सैम्पल 200 ग्राम की बोतलों में सील चपडी कर पैक किया गया था। इससे सिद्व होता है कि प्रकरण के साथ प्रस्तुत जांच रिपोर्ट कतई गलत है। अप्रार्थी के पास लाईसेन्स मौजूद है व प्रार्थी उत्तरदाता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है एवं आज तक किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही या किसी भी विभाग में कोई शिकायत पेंडिंग नहीं है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./119/एक्ट/2023/141 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी(खुला) का नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)**(z)(x)** का उल्लंघन होने के कारण अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी(खुला) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक(**SUBSTANDARD**) स्तर के खाद्य पदार्थ घी(खुला) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स बालाजी डेयरी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा निवासी देवतवाल कॉलोनी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा पर 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 23.05.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (**Chief Medical & Health Officer Dausa**)के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः– .05.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स बालाजी डेयरी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा निवासी देवतवाल कॉलोनी बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:26 IST
Reason: SelfAttested